रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 1972/ज्येष्ठ 26, 1894

No. 164] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 1972/JYAISTHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June 1972

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby directs that the powers conferred upon it by sub-rule (2) of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, shall be exercised also by the Jute Commissioner, Calcutta.

[No. F. 18012/1/72-Tex.D]

H. LAL, Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1972

जी०एस०आर० 313(अ).—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (2) के द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पटसन आयुक्त, कलकत्ता द्वारा भी किया जायेगा।

[सं० आ० 18012/1/72-टैक्स (डी)]

एच० लाल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972